(TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 12 August, 1999.

NOTIFICATION

S.No. F.No. 204/22/98-ITA-II. - It is notified for general information that M/s.Residency Housing Finance Limited, has been approved by the Central Government for the purposes of section 36(1)(viii) of the Income tax Act, 1961, for the assessment years 1999-2000.

2. The approval is subject to the condition that:

i) the company has been main object to carrying on the business of providing long term finance for construction or purchase of houses for residential purposes;

ii) the company submits every year a copy of its audited profit and loss account and balance sheet alongwith a statement of deduction claimed under this section before its due date for filing return of income under section 139(1) of the Income tax Act, 1961;

iii) special reserve as required is created and maintained as per the Act; and

iv) all other conditions contained in section 36(1)(viii) of the Income tax Act, 1961, are fulfilled.

(Kamlesh C. Varshney)
Under Secretary (ITA.II)

Notification No. 11026 (F.No. 204/22/98-ITA-II)

To,

The Manager
Government of India Press,
Mayapuri,
New Delhi.

Copy to:

1. M/s. Residency Housing Finance Limited, Bangalore.
2. All CCsIT and DsCIT
3. C&AG of India (40 copies)
4. Joint Secy. & Legal Advisor, Ministry of Law, New Delhi.
5. Addl. Secy. (Admn.) Department of Revenue, New Delhi.
6. Bulletin Section, DIT (RSP&PR), New Delhi.

भारत के राजपत्र के भाग ।। खण्ड 3(।)(i) में प्रकाशनार्थ

भार त सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त, 1999

अधिसूचना

क्रसम सं0 फा0सं0 204/22/98-आयकर नि0-।। आम सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार मैसर्स रजिडेन्सी हाऊसिंग फाइनेंस लि0, को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(।)(viii) के प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 तक के लिए अनुमोदित करती है ।

2. यह अनुमोदन निम्न शर्तों के अध्यधीन है :-

(i) कंपनी का मुख्य उद्देश्य आवासीय उद्देश्यों के लिए मकानों के निर्माण अथवा खरीद के लिए दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने के कारोबार को करने का रहा हो ;

(ii) कम्पनी, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के अन्तर्गत आय विवरणी दायर करने के लिए निर्धारित तारीख से पहले इस धारा के अन्तर्गत कटौती दावों के विवरण के साथ साथ अपने लेखापरीक्षित लाभ और हानि लेखा और तुलनपत्र की प्रति प्रतिवर्ष प्रस्तुत करती हो;

(iii) अधिनियम के अनुसार अपेक्षानुसार विशेष रिजर्व सृजित और रखा जाता हो;

(iv) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(।)(viii) में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें पूरी की जाती हो ।

(कमलेश सी0वार्ष्णेय)
अवर सचिव, आई टीए-।।
(फा0सं0 204/22/98-आयकर नि0-।।)

अधिसूचना सं0 11026